

13/12/19 पत्रावली पेश हुई। जमीन आवधिकारी
सहायक कलेक्टर
द्वारा, मुम्बई में 510 अकाराज का
शपथ - पत्र पस्तुत पस्तुत किया
गया था वृद्धि के लिए शान्ति मिलान
किया गया। वही आवधिकारी
पत्रावली दिनांक 13/12/19 को
पेश हो।

24/12/19 पत्रावली पेश हुई। आज पीढासीन अधिकारी
द्वारा कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 27/12/20
को पेश हो।

7/1/20 पत्रावली पेश हुई। आज पीढासीन अधिकारी
द्वारा कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 11/1/20
को पेश हो।

4/1/20 पत्रावली पेश हुई। जमीन आवधिकारी
द्वारा कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 11/1/20 को पेश हो।

11/1/20 पत्रावली पेश हुई। जमीन आवधिकारी
द्वारा कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 11/1/20 को पेश हो।
अवलोकन किया गया। (उत्तर गंगाजी
के ख.न. 507/3 ख.न. 3.00 बीघा, ख.न.
1137/1 ख.न. 3.10 बीघा, ख.न. 1149 ख.न.
6.16 बीघा, ख.न. 1182/2 ख.न. 2.05 बीघा
व ख.न. 2083 ख.न. 3.10 बीघा कुल
ख.न. 5 कुल ख.न. 19.01 बीघा
सूचिपत्र के तहत मुम्बई में
के तहत दिये हैं जिसने जमीन आवधिकारी का

सहायक कलेक्टर एवं
उपसचिव अधिकारी, बावडी



धारीक
दुबम

दुबम या कार्यवाही मय इतिनिमित्तम बज

नाम भलाराम अशोक गदलोह पि० केवलराम
 रई है। जमीन गण उपरोक्त खसरो में
 अपना नाम भलाराम के स्थान पर
 भलाराम गदलोह व अशोक गदलोह के स्थान
 पर अशोक गदलोह पि० केवलराम
 रई कावना चढ़ाई है। जमीन गण
 द्वारा साक्ष्य के रूप में बैंक पास बुक
 राशन कार्ड, पहचान पत्र, PAN कार्ड,
 आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत
 की गईं जिनमें जमीन गण के नाम भलाराम
 व अशोक गदलोह पि० केवलराम लिखा
 हुआ है। सरपंचरु ग्राम पंचायत गंगानी
 द्वारा भलाराम ^{व अशोक गदलोह} अशोक गदलोह ^{व केवलराम}
 केवलराम के नाम करवी जारी के गण
 होना बताया गया है। तदसीलवात् बकरी
 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कागज परिवर्तन
 हेतु समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नाम
 निशोधन करने में असमर्थ नदी है। शिवा
 व अशोक गदलोह पि० केवलराम
 हुआ है। तदरवाते वात् भुम्बाराश 50
 अणाराम नाम भानी सा गंगानी ने
 शपथ - पत्र प्रस्तुत करती गवेदन किता
 कि वह जमीन गण को भनी भो गी जानता
 है तथा जमीन गण ने उसके पारिवारिक
 सम्बन्ध है। जमीन गण के नाम रवाते ही
 भलाराम व अशोक गदलोह व केवलराम
 कोई पत्राल नदी है। जमीन गण

द्वारा कस्तूरबेन के आवलोकन से स्पष्ट है कि
गुप्त गंगानी के खाता संख्या नमा 863
में दफ्तार मलाराग के खान पर मलाराग
व अचलाराग के खान पर अशोक गदलो
की किराया जाना उचित उचित होगा है। सभी
संलग्न दस्तावेजों में मलाराग पुत्र
केवलराग व अशोक गदलो पुत्र केवलराग
नाम लिखा हुआ है।

इस प्रकार की केवलराग पुत्र
संलग्न दस्तावेजों में तहसील दारवाडी
की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्ति गण का
प्राप्ति पुत्र स्वीकार किया जाना उचित
उचित होगा है।

आदेश

प्राप्ति गण का प्राप्ति पुत्र अचलाराग
136 L.R. A के स्वीकार किया जा रहा है
तथा गुप्त गंगानी तहसील दारवाडी के खाता
संख्या नमा 863 में दफ्तार मलाराग पुत्र
केवलराग के खान पर मलाराग पुत्र केवलराग
व अचलाराग पुत्र केवलराग के खान पर
अशोक गदलो पुत्र केवलराग नाम पद
किराये जाने के आदेशीयों जारी हैं। शेष
उपरोक्त मलाराग अचलाराग तहसील दारवाडी
को आदेश दिया जाता है कि गुप्त
गंगानी के खाता संख्या नमा 863 में मलाराग,
अचलाराग पुत्र केवलराग के खान पर
मलाराग, अशोक गदलो पुत्र केवलराग
का नाम खान (बैरिड) में दफ्तार (तहसील -
दारवाडी) को पालन तहसील जारी
है।

प्रकार की जे नम सुमा होकर, नम
ले जान होकर, दारिकन दारवाडी है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी, दारवाडी